"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि.से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर/17/2002."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29] रायपुर, शनिवार, दिनांक 2 फरवरी 2002 - माघ 13, शक 1923

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 फरवरी 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-6/2002/खाद्य/29/262 -- मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28, सन् 2000) की धारा-79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :-

आदेश

1. (एक) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलन आदेश, 2002 है.

(दो) यह नवंबर, 2000 के प्रथम दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होगा.

2. समय-समय पर यथा संशोधित ऐसी विधियां जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट है और जो छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थी, एतद्द्वारा तब तक विस्तारित तथा प्रवृत्त रहेंगे जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जायें. उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए समस्त विधियों में शब्द "मध्यप्रदेश" जहां कहीं भी वे आये हों, के स्थान पर शब्द "छत्तीसगढ़" स्थापित किये जायें.

3. अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों के द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कोई भी बात या की गई कोई कार्यवाही (किसी नियुक्ति,अधिसूचना, सूचना, आदेश, नियम, प्रारुप, विनियम, प्रमाण-पत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुए) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेगी.

अनुसूची

अनुक्रमांक	विधियों के नाम
1.	मध्यप्रदेश चांवल लेव्ही (उपार्जन) आदेश, 1970.
2.	मध्यप्रदेश आवश्यक वस्तु (मूल्य प्रदर्शन तथा मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1977.
3.	मध्यप्रदेश केरोसीन व्यापारी अनुज्ञापन आदेश, 1979.
4.	मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट एवं हाईस्पीड डीजल आइल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश, 1980.
5.	मध्यप्रदेश चोर बाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय बनाए रखना आदेश, 1980.
6.	मध्यप्रदेश सीमेंट अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1981.
7.	मध्यप्रदेश सीमेंट अपमिश्रण निवारण नियम, 1984.
8.	मध्यप्रदेश अनुसूचित वस्तु व्यापारी (अनुज्ञापन तथा जमाखोरी पर निर्बंधन) आदेश, 1991.
9.	मध्यप्रदेश खाद्य तथा नागरिक पूर्ति (राजपत्रित) सेवा भरती नियम, 1989.
10.	मध्यप्रदेश खाद्य तथा नागरिक पूर्ति तृतीय श्रेणी (अराजपत्रित) सेवा भरती नियम, 1989.
11.	मध्यप्रदेश खाद्य तथा नागरिक पूर्ति (चतुर्थ श्रेणी) सेवा भरती नियम, 1989.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर.सी.गुप्ता, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 1 फरवरी 2002

क्रमांक एफ-10-6/खाद्य/2002/29/263 -- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-6/खाद्य/2002/29/262, दिनांक 1 फरवरी, 2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. सी. गुप्ता, अवर सचिव.

Raipur, the 1st February 2002

NOTIFICATION

No. F-10-6/2002/Food/29/262 - - In exercise of the powers conferred by Section 79 of the Madhya Pradesh Re-organisation Act, 2000 (No. 28 of 2000), the State Government hereby makes the followings orders, namely :-

ORDER

1. (1) This Order may be called the Adaptation Order, 2002.

(2) It shall come into force in the whole State of Chhattisgarh on the 1st day of November, 2000.

2. The rules as amended from time to time, specified in the schedule to this order, which were in force in the State of Madhya Pradesh immediately before the formation of the State of Chhattisgarh are hereby extended to and shall be in force in the State of Chhattisgarh until repealed or amended. Subject to the modification that in the rule for the words"Madhya Pradesh" wherever they occur the word "Chhattisgarh" shall be substituted.

3. Anything done or any action taken (including any appointment, notification, notice, order, rule, form, regulation, certificate or licence) in exercise of the powers conferred by or under the laws specified in the Schedule shall continue to be in force in the State of Chhattisgarh.

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of the laws (2)
1.	Madhya Pradesh Rice Levy Procurement, Order, 1970.
2.	The Madhya Pradesh Essential Commodities (Exhibition of Price Control) Order, 1977.
3.	Madhya Pradesh Kerosene Dealers Licensing Order, 1979.
4.	Madhya Pradesh Motor Spirit and High Speed diesel oil (Licensing and Control) Order, 1980.
5.	Madhya Pradesh Prevention of Black Marketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Order, 1980.
6.	Madhya Pradesh Cement Apmishran Niwaran Act, 1981.
7.	Madhya Pradesh Cement Apmishran Niwaran Rules, 1984.
8.	Madhya Pradesh Schedule Commodities Dealers (Licensing and Restriction on Hoarding) Order, 1991.
9.	Madhya Pradesh Food and Civil Supplies Service (Gazetted) Recruitment Rules, 1989.

(1)	(2)
10.	Madhya Pradesh Food and Civil Supplies Class III (Non-Gazetted) Service Recruitment Rules, 1989.
11.	Madhya Pradesh Food and Civil Supplies (Class IV) Service Recruitment Rules, 1989.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. C. GUPTA, Under Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित-2002.